

11.04.18

वकील अपीलान्त या स्वयं अपीलान्त कोई उपोद्यत
नहीं है। अपी. को बार-बार आवाजें दी गई
गई। अपी. की आर से कोई उपोद्यत नहीं
आया। अतः अपील अपीलान्त अदम होजरी
व अदम करवी में रवारिज की जाती है।
पत्रावली फंसल शुमार होकर बाद वकील
जायता दाखिल दफ्तर हो।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

ला भरत

सील